

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.12 hrs.

**STATUTORY RESOLUTION RE DIS-  
APPROVAL OF THE TRUST LAWS  
(AMENDMENT) ORDINANCE, 1975  
AND TRUST LAWS (AMENDMENT)  
BILL**

MR DEPUTY-SPEAKER The House will now take up the Statutory Resolution by Shri Laxminarayan Pandeya and the Bill by Shri C Subramaniam further to amend the Indian Trusts Act, 1882 and the Unit Trust of India Act, 1963 Both the Resolution and the Bill will be taken up together

**डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसौर):**  
उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित न्यास विधि (सशोधन) अध्यादेश 1975 (1975 का अध्यादेश सख्या 1) का निम्नमोदन करने का सफल प्रस्ताव करता हूँ।

इस अध्यादेश का जारी करते समय मंत्री महोदय द्वारा उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिन के कारण इस अध्यादेश को जनवरी में ही सरकार को निकालना पड़ा। सरकार की तरफ से जो कारण इन के बारे में बताए गए उन में यह कहा गया कि चूंकि यूनिट ट्रस्ट पर पिछले कुछ प्रभावी उपाय या वित्तीय प्रतिबन्ध मुद्रा प्रसार की रोक हेतु जो लगाए थे उन के कारण उस के कार्यों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि यूनिट ट्रस्ट पर उसकी

यूनिट की बिक्री के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, उस की बिक्री यथावत होती रहे, उस में से जो धन निकालने का क्रम जारी हुआ है वह क्रम उसी प्रकार से जारी न रहे, इन सभी कारणों को लेकर इस प्रकार का अध्यादेश यहाँ पर उपस्थित करना पड़ा।

पिछले साल जुलाई में ही कुछ इस प्रकार के पग उठाये गए सरकार की तरफ से डिविडेंड्स पर प्रतिबन्ध के बारे में और अन्य उपायों के बारे में तो यह कहा गया था कि यूनिट ट्रस्ट के कार्यकलापों के ऊपर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि 21 जुलाई, 1974 की एक मीटिंग के अध्यक्ष यूनिट ट्रस्ट के चेयरमैन ने बताया

'Mr. James Raj, Chairman of the Unit Trust of India told a meeting of its agents on Saturday that though the latest curb on ordinary shares would affect adversely income from a part of its portfolio, its overall impact would be marginal. He made it clear that since the current worth (value) of the share is about Rs 12, the Unit Trust would not mind buying back some units at the price of Rs 10 50 in somebody wanted it that way'

यह समाचार के रूप में फ्री प्रेस जर्नल में 21 जुलाई, 1974 को छपा भी था।

पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन जब उस का असर पड़ने लगा और उस का विपरीत प्रभाव पड़ने लगा, यूनिट-ट्रस्ट से भारी मात्रा में पैसा निकाला जाने लगा, यहाँ तक कि उस की भारी जमा वापस होने लगी, उस के भारी मात्रा में यूनिट्स वापस होने लगे तो उन को एक चिन्ता पड़ी और सरकार को भी इस के बारे में सोचना पड़ा कि इस को रोकने

## [डा० लक्ष्मी नारायण पांडे]

के लिए कोई कदम उठाया जाय और सरकार को लाचार होकर इस प्रकार का कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि 7 जनवरी को इस प्रकार का अध्यादेश सरकार की तरफ से जारी किया गया लेकिन इस पर सरकार पहले ही विचार कर चुकी थी कि इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ के अनुसार यह बताया गया कि जो टैक्स फ्री लिमिटेड यूनिट ट्रस्ट के ऊपर सरकार ने निर्धारित की थी उस के ऊपर वह इस्कोज़ करने जा रहे हैं। यह न्यूज़ प्रॉडेंट 3 जनवरी, 1975 के इंडियन एक्सप्रेस में थी जो जिस के अनुसार सरकार पहले ही इस बात का निर्धारण कर चुकी थी। केवल इतना ही नहीं इस के पहले दिसम्बर में ही सरकार ने इस बात के संकेत दिए थे कि इस सभा है यूनिट ट्रस्ट के कार्यों के ऊपर चूंकि विपरीत प्रभाव पड़ रहा है इसलिए शाब्द हमें इस तरह का कदम उठाना पड़े और इनकम टैक्स की लिमिट के ऊपर या हमारे कटौतों की लिमिट के ऊपर हम न जो छूट दे रही है उस को शाब्द बढ़ाना पड़े। इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज़ निकली उस में यह बताया गया कि :

"An income of Rs 2000 a year by way of interest on deposit with the S.T.I. will now be exempt from income Tax. The decision is understood to have taken by the Union Cabinet here today."

यह समाचार इंडियन एक्सप्रेस का है। यह 3 जनवरी को न्यूज़ निकली थी। उस के बाद ही सरकार ने तत्काल इस प्रकार का अध्यादेश निकाला। इसका अर्थ यह है कि जो सरकार की तरफ से या यूनिट ट्रस्ट की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा कि इस का किसी प्रकार का हमारे डिविडेंड इत्यादि पर या लाभांशों पर जो सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया या लाभांश पर प्रतिबन्ध के कारण किसी प्रकार का विप-

रीन असर नहीं डेगा लेकिन यूनिट ट्रस्ट के कार्य कलापो पर उस का असर पड़ा। पिछली जुलाई से लेकर दिसम्बर तक के आकड़ों के अनुसार लगभग 14 करोड़ रुपये के यूनिट्स वापस आ कर लोगों ने भुनाए और सरकार ने जो यूनिट्स बेचे थे, लगभग 10 करोड़ के यूनिट सरकार ने बेचे इस के अनुसार चार करोड़ की हानि तो सरकार को प्रत्यक्ष दिखाई पड़नी है किन्तु उस के बाद भी चेंबरमैन ने कहा कि हमें कोई हानि नहीं है और कोई फाइनेशियल क्राइसिस नहीं है। भले ही हम क्राइसिस की बात को दबाये लेकिन फाइनेशियल क्राइसिस है इस बात को सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है। जो कारण बताए उन कारणों के अन्दर सरकार ने कहा कि हमारी जा विक्री है उस के अनुसार नतीजों में लेकर नवम्बर 1974 तक की अवधि में 9.6 करोड़ रुपये के यूनिट निकले थे जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 21.80 करोड़ यूनिट्स बिके थे। इस प्रकार सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि यूनिट्स की बिक्री के ऊपर विपरीत असर पड़ा है। लेकिन चेंबरमैन इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं जब कि इसी बारे में अध्यादेश और यह विवेक यहाँ पर लाया गया।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह कहती है कि लाभांश पर प्रतिबन्ध का शेयर बाजार पर असर पड़ा है और शेयर बाजारों की स्थिरता के लिए यह कदम जरूरी है किन्तु शेयर बाजार आज भी नाचे जा रहा है। केवल यह कदम उठाने से कि सरकार यूनिट ट्रस्ट के ऊपर किसी प्रकार की लिमिट बढ़ा कर के या इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा कर के या बैल्यू टैक्स की लिमिट बढ़ा कर के उस को ठीकना जाहे तो वह कोई प्रभावी कदम नहीं माना जा सकता है और वह इस में हकेमा भी नहीं। शेयरों पर जो असर पड़ा है वह बाजार की दूसरी वित्तीय गति-विधियों का पड़ा है। बैंकों ने जो ऋण की

मर्यादा निर्धारित की है या जो व्याज की सीमा बढ़ाई है और साथ दूसरे उपायों के कारण हमारे यहां पर जिस प्रकार से कुछ चीजों की कीमतें गिरी हैं या कुछ चीजों की कीमतें स्थिर हुई हैं या कुछ चीजों की कीमतें ज्यादा हुई हैं जो मार्केट की स्थिति है उस के अनुसार भी मैं समझना हूँ कि काफी अमर हो सकता है केवल एक कदम उठाने से यूनिट ट्रस्ट के ऊपर असर पड़ा हो सही नहीं है। लाभांश के प्रतिबन्ध के बाद में भी दूसरी बातें देखनी होंगी अब हमें ट्रस्ट की हालत सुधारने के लिए आय कर का मार्जिन बढ़ा कर या जैसा आप ने कहा है कि 2 हजार की और अतिरिक्त सीमा हम बाधना चाहते हैं और दूसरी तरफ 25 हजार की अतिरिक्त सीमा और दी है जो धारा की सीमा वर्तमान में डेढ़ लाख की और दूसरी तरफ 3 हजार की वर्तमान सीमा है तो मैं समझता हूँ कि इन सीमाओं के आधार पर भी आपने कोई बहुत बड़ा लाभ उन को नहीं दिया है। वर्तमान में यंत्र दूसरा जो डिबिडेन्ड दे रहा है वह 8.5 प्रतिशत है आपने कहा है कि इस का भी उस के उद्योग की असर नहीं पड़ेने वाला है। यहां पर आप ने यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा है कि जितना लाभांश देना है उसमें बड़ाकर डिबिडेन्ड देगे। इस प्रकार का कोई निर्धारित मत या निर्धारित बात सरकार द्वारा हम में नहीं बनाई गई है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि जो कुछ भी बात धारा 14 प्रोविजन्स के जर्जियन लाभांश चाहते थे, वह आप को पहले में स्पष्ट थी, शर्तों सामने थी और जिस समय आप ने लाभांश पर प्रतिबन्ध लगाया था उसी समय अनेकों माननीय सदस्यों द्वारा यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया था कि लाभांश पर प्रतिबन्ध लगा कर बाजार में इन्फ्लेशन को रोकने में आप समर्थ नहीं हो सकेंगे। लेकिन सरकार ने कहा था कि ऐसे कामों से निश्चित ही हमें इस प्रकार का लाभ होगा।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन

करना चाहता हूँ—आप ने तत्काल कानून बनाने की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा है—

“कम्पनियां ने—(नामांश पर अस्थायी प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1974 के अर्न्तंगत लाभांश के रूप में देय मूल्य के वितरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिस का फल यह हुआ है कि शेयरों की कीमतें गिर गई हैं और सामान्य शेयरों पर लाभांश की दरों में वमी हो गई है।”

मैं आपकी इस विचारधारा से तनिक भी सहमत नहीं हूँ। सामान्य लाभांशों की दरों में कमी होने के बाद भी शेयर बाजार में कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया है—“बैंक की दरों में वृद्धि होने और बैंक जमा और कम्पनी जमा पर व्याज की दरों में तेजी से वृद्धि होने से यूनिटों में धन लगाने में आकर्षण कम हो गया है”। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बड़े-बड़े लोग हैं पूँजी लगानेवाले लोग हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूँजी लगाने के लिए आकर्षित हो कर यूनिट ट्रस्ट में धन लगाने के लिये आकर्षित हो सकते हैं। कम्पनियां अपने लाभ के लिए ऐसा कर सकती हैं लेकिन जो साधारण इन्वेस्टर हैं छोटी छोटी पूँजी लगाने वाले लोग हैं उनको चाहें 2 हजार रुपये की छूट मिले या 25 हजार की छूट मिले उस के लिये कोई आकर्षित होने का कारण नहीं है उस का उस प्रकार के प्रावधान में कोई लाभ होने वाला नहीं है।

आप ने इस के अन्दर यह भी कहा है कि यूनिट ट्रस्ट की जो तकदी की स्थिति है उस को सुधारने में इस कानून के द्वारा बड़ा भारी प्रयत्न होगा। मैं समझता हूँ कि इस से यूनिट ट्रस्ट की स्थिति नहीं सुधरेगी। आज भी यूनिट ट्रस्ट ने 425 कम्पनियों में विभिन्न दरों पर अपनी

[श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय]

पूँजी लगा रखी है और ट्रस्ट की स्थिति में सुधार इस लिये नहीं होगा कि ये कम्पनियाँ केवल यूनिट ट्रस्ट के पैसे पर नहीं चलती हैं। ये दूसरी फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से भी पैसा लेती हैं। केवल यूनिट ट्रस्ट पर निर्भर न रहने के कारण शेयर बाजार में भी इस नये प्रावधान से आप के अध्यादेश के द्वारा जो नयी घोषणा की गयी है उसका असर इन कम्पनियों पर पड़ने वाला नहीं है।

यूनिट ट्रस्ट की स्थिति आज क्या है? आप के पास 57.90 करोड़ रुपये के आर्डिनरी शेयर्स हैं 16.38 करोड़ रुपये के प्रिफरेंस शेयर्स हैं और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वह 24.59 करोड़ रुपये का है। अर्थात् कुल मिला कर 45 परसेंट के करीब आप के पास आर्डिनरी शेयर्स विद्यमान हैं अब उन की स्थिति क्या है? जो बिक्री हुई है लगातार लोगों ने अपने यूनिट्स वापस करने प्रारम्भ किये उस में आर्डिनरी शेयर्स पर कितना प्रभाव पड़ा? प्रिफरेंस शेयर्स पर कितना प्रभाव पड़ा? कुल मिला कर वर्तमान पूँजी की वित्तीय स्थिति क्या है? आप ने यद्यपि बार बार कहा है कि इस से हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है और आप यह भी कहते हैं कि इस अध्यादेश के जरिये आप वित्तीय स्थिति सुधारण में सक्षम हो जायेंगे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सम्भव है?

अब इस सम्बन्ध में जो प्रावधान सरकार लाई है— मैं उन के बारे में भी सक्षेप में बतलाना चाहता हूँ विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। सरकार ने जिन कदमों को उठाने का प्रयास किया है— इन्कम टैक्स एक्ट तथा दूसरे एक्ट्स में जिस प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास किया है— उस में भी मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होनेवाला नहीं है क्योंकि विभिन्न कम्पनियाँ अपने अपने तरीकों पर इसका लाभ उठा लेंगी किन्तु ट्रस्ट की सीधा लाभ नहीं पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष जी मंत्री महोदय ने जो अध्यादेश निकाला है—इसमें 1882, 1957 तथा

1963 आदि की न्यास विधि सम्बन्धी कतिपय धाराओं का जगह नई धाराओं का उल्लेख किया गया है—धारा 39 ख— इस में कहा गया है कि उन के द्वारा जो अधिकता या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति है उनके कार्य के बारे में कुछ उल्लेख है। साथ ही यूनिट धारकों को यह ग्राह्यमान भी दिया गया है कि यूनिटों के अग्रेस्ट किमी प्रकार की कोई कुड़की नहीं लाई जा सकेगी, कोई जमा रकम है तो उस के खिलाफ डिमि नहीं ली जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान कर के यद्यपि आप ने इस बात को गारंटी देने का कोशिश की है कि जो पैसा यूनिट ट्रस्ट के अग्रोन लगाया जायेगा वह सुरक्षित रहेगा उस पर ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि इन सब बातों से ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है।

इसी सम्बन्ध में मैं एक और समाचार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकषिप्त करना चाहता हूँ—यह समाचार इकानामिक टाइम्स में निबल है—

"There are, however, some irksome factors which may offset the beneficial impact of the increase in agricultural and industrial production, though they may be of a short-term nature. The two-week old strike in West Bengal jute mills and the country wide strike of dock workers will affect both production and exports. The power supply position in some of the States is still far from re-assuring. Speculation about a hurried midterm poll has created uncertainties about the budget being presented as usual at the end of next month. The tax concession given to Unit holders through a Presidential ordinance may prove helpful to the Unit Trust in that it can prevent re-purchases of units, and induce some fresh sales."

—आगे हममें कहा गया है कि

It is doubtful indeed whether the tax Concessions would be of any real benefit to the unit holders.

इसमें उन्होंने जो सम्भावना प्रकट की है कि उसके अनुसार केवल री-सेल पर कुछ बेक लग सकता है। उन्होंने यह सम्भावना भी व्यक्त की है कि

इस से यूनिट ट्रस्ट को यह लाभ होगा कि जिस प्रकार से लोग वापस बेचना प्रारम्भ कर रहे थे, उस पर प्रतिबन्ध लगेगा इस से री-सेल बढ़ेगी-लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस से किसी प्रकार की सेल बढ़ेगी। मैं जानना चाहूँगा कि जुलाई से लेकर, जब से कि लाभांश पर प्रतिबन्ध प्रतिपादित किया है, तब से लेकर आज तक जो यूनिट्स वापस रि-सेल हुए हैं-उन की संख्या कितनी है और इस अवधि में कितने बिके हैं-यदि दोनों को आप सामने रखेंगे तो आप को पता चलेगा कि यूनिट ट्रस्ट की स्थिति क्या है?

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की कार्यवाही करें जिन से जाता में विश्वास पैदा हो। यह फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन है, अगर इस में किसी प्रकार की विवृति आती है खराबी पैदा होती है और यह किसी प्रकार की क्राइमिनेशन फेस करना है तो इससे यह सस्या बड़ी कनिई में पड़ जायेगी और आप ने ऐसे क्राइमिनेशन के आने की सम्भावना व्यक्त भी की है।

एक बात की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस समय विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा आप ने प्रारम्भ में कहा था कि छोटे छोटे यूनिट धारक हैं उन को आप आश्वस्त करने का प्रयत्न करेंगे-मैं जानना चाहता हूँ-क्या आप उन के डिविडेण्ड में कोई वृद्धि करने जा रहे हैं या नहीं? बैंको में आज ब्याज की सीमा बढ़ी है। जो यूनिट परचेज करनेवाले लोग हैं यदि उनको बैंको में ज्यादा ब्याज मिलेगा तो कोई भी साठे आठ प्रतिशत पर अपना पैसा यूनिटों में लगाना पसन्द नहीं करेगा। वह फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंको में 13 परसेंट पर पैसा या लम्बी अवधि के लिए दूसरे बैंको में जायेगा तो उसे 15 परसेंट भी मिल सकता है फिर आप के यहाँ यूनिट्स में पैसा लगाने का उसे क्या लाभ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर पुनर्विचार करें।

आप ने 2 हजार की जो छूट दी है-...

सभापति महोदय, श्री मुझे इस पर थोड़ा और बोलना है।

MR DEPUTY SPEAKER: The hon. Member may continue on Monday.

15.28 hrs

# COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS FIFTY-SECOND REPORT

MR DEPUTY SPEAKER We now take up the Private Members' Business. There is a motion to be moved by Shri S P Bhattacharyya

SHRI S P BHATTACHARYYA (Uluberia) I beg to move

'That this House do agree with the Fifty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 13th March, 1975."

MR DEPUTY SPEAKER The question is

"That this House do agree with the Fifty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 13th March, 1975"

The motion was adopted

15.29 hrs

# RESOLUTION RE GROWTH OF FASCISM IN THE COUNTRY- contd.

MR DEPUTY SPEAKER We resume further discussion of the Resolution moved by Shri Shyamnandan Mishra. He was on his legs. On the last occasion, he had taken 45 minutes. He should really conclude now.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) Unfortunately, it happen-